

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
आदेश

पटना, दिनांक ...17.10.2024...

संचिका संख्या-07/मु0-01-534/2024...2717.../यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0 डब्लू0 जे0 सी0 सं0-7048/2020 दिनेश कुमार साह एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 07.10.2024 को पारित आदेश के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

2. सी0 डब्लू0 जे0 सी0 सं0-7048/2020 में दिनांक 07.10.2024 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है :-

"... In view of the prayers made on behalf of the petitioners, I deem it proper and in the interest of justice to direct the petitioners to file a detailed representation along with a copy of the order dated 31.03.2011 passed in CWJC No. 6139 of 2007 before the Director, Primary Education, Bihar, Patna (respondent no.4) for redressal of their grievances within a period of four weeks from the date of receipt/production of a copy of this order. The respondent no.4 is well advised to pass a reasoned and speaking order in accordance with law after affording an opportunity of personal hearing or after hearing their counsel. The order must be passed within ten weeks after filing of such representation by the petitioners.

4. It goes without saying that if the petitioners are found entitled for senior scale/time bound promotion/A.C.P, as claimed, they would be entitled to other consequential benefits as well.

5. It is made clear that the Director, Primary Education, Bihar, Patna (respondent no.4) shall be solely responsible for non-compliance of this order within the stipulated period....."

3. माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में याचिकाकर्ताओं द्वारा विभाग को अभ्यावेदन उपलब्ध कराया गया। उक्त अभ्यावेदन के आधार पर विभागीय पत्रांक-2192 दिनांक-05.12.2024, पत्रांक-2406 दिनांक-26.12.2024, पत्रांक-483 दिनांक-18.02.2025, पत्रांक-852 दिनांक-24.03.2025, पत्रांक-1598 दिनांक-08.05.2026 एवं पत्रांक-2400 दिनांक-13.08.2026 द्वारा सुनवाई में उपस्थित होने का निदेशित किया गया। उक्त सुनवाई में वादीगण उपस्थित हुए।

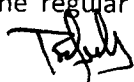
4. वादीगण का कथन है कि :-

(i) माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर अवमाननावाद सं0-2939/2012 में दिनांक-05.12.2012 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है :-

"Learned counsel appearing on behalf of the State submits that Special Leave to Appeal (Civil) CC 19539/2012 filed by the State has been dismissed by the Supreme Court vide order dated 05.11.2012. A show cause has been filed on behalf of opposite party no. 4 seeking three months further time to comply the order. Accordingly, three months time is granted. Post this matter after three months, retaining its position."

माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर याचिका सं0-6120/2010 में दिनांक-27.04.2010 को पारित आदेश में संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी को याचिकाकर्ताओं की नियमित शिक्षक के रूप में नियुक्ति करने का आदेश दिया गया। उक्त याचिका के विरुद्ध विभाग द्वारा एल0 पी0 ए0 सं0-1818/2010 दायर किया गया। जिसका कार्यकारी अंश है :-

"..The respondents are entitled to the relief of appointment with consequential benefits. In the result, this appeal is dismissed. Appellant no.5 is directed to issue appointment letters to the respondents as assistant teachers in the regular pay scale with effect from 1st January 2000, with



replacement pay scales, and shall be entitled to arrears of salary and consequential benefits as well as seniority due to them. The respondents will be entitled to interest at the rate of 6% with effect from 1.1.2000 on all arrears of money benefits till the date of payment..."

उक्त एल0 पी0 ए0 के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एस0एल0पी0 (सी) सं0-19539/2012 दायर किया गया। संबंधित वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-05.11.2012 को पारित न्यायादेश में उक्त एस0एल0 पी0 को खारिज कर दिया गया। जिसके अनुपालन में निदेशक, प्राथमिक शिक्षा के पत्रांक-35 दिनांक-10.01.2013 द्वारा दिनांक-01.01.2000 से प्रभावी मानते हुए 6 प्रतिशत वार्षिक सूद के साथ वेतन भुगतान किया गया।

(ii) याचिकाकर्ताओं द्वारा कहा गया कि हमारे साथ नियुक्त 1999 (1996) बैच के सभी शिक्षकों को, जिन्होंने प्रथम प्रयास में शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा पास किया उन्हें दिनांक-05.09.1999 से दिनांक-30.09.2003 तक मैट्रिक प्रशिक्षित वेतनमान का लाभ Notionally देते हुए दिनांक 01.10.2003 से वित्तीय लाभ दिया गया। तदनुसार 10 वर्ष/20 वर्ष के पश्चात प्रथम एवं द्वितीय वित्तीय उन्नयन का लाभ भी दिया गया है। हमलोगों ने भी प्रथम प्रयास में शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा पास किया है तथा नियुक्ति के 24 वर्ष हो गया है। अंकनीय है कि हमारी नियुक्ति/योगदान के समय योग्यता इण्टर (विज्ञान/कला) थी।

(iii) गोंड जाति के जिन 34 शिक्षकों की नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश के अनुपालन में निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, बिहार पटना के पत्रांक 183 दिनांक 06.03.2012 तथा पत्रांक 874 दिनांक 20.12.2012 एवं अन्य के आधार पर किया गया, उसमें मुजफ्फरपुर, सारण तथा गोपालगंज जिले में एक साथ दिनांक 01.01.2000 को पदस्थापित हुए। जिसमें गोपालगंज जिला अंतर्गत सभी 13 शिक्षकों को दिनांक 01.10.2013 से वित्तीय उन्नयन (ACP) का लाभ दे दिया गया है। साथ ही अंकित किया गया है कि सी0डब्लू0जे0सी0 सं0-7322/2017 अब्दुस समद एवं अन्य बनाम बिहार सरकार, 5345/2019 राजीव रंजन एवं अन्य बनाम बिहार सरकार एवं 3683/2020 बिनोद तिवारी एवं अन्य बनाम बिहार सरकार में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा न्याय दिया गया है।

5. अप्रशिक्षित उच्च योग्यताधारी शिक्षकों को प्रशिक्षित वेतनमान देने के संबंध में एस0एल0पी0 सं0-23187/1996 कि आदेश तिथि 05.09.1997 के आलोक में विभागीय संकल्प संख्या 07/वे0-14/2007-12 दिनांक-05.01.2015 निर्गत है जिसका कण्डिका 04 निम्नवत है :-

(i) बिहार प्रारंभिक विद्यालय नियुक्ति नियमावली 1991 के अन्तर्गत दिनांक-05.09.1997 (माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा एस0एल0पी0 सं0-23187/1996 में दिनांक-05.09.1997 को पारित आदेश) के पूर्व नियुक्त उच्च योग्यताधारी अप्रशिक्षित शिक्षक जिन्होंने शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा 2004 में सम्मिलित होकर प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण हुए उन्हें दिनांक-05.09.1999 से दिनांक-30.09.2003 तक मैट्रिक प्रशिक्षित का वेतनमान Notionally देते हुये दिनांक-01.10.2003 से वित्तीय लाभ दिया गया।

(ii) बिहार प्रारंभिक विद्यालय नियुक्ति नियमावली 1991 के अन्तर्गत दिनांक 05.09.1997 के उपरांत नियुक्त उच्च योग्यताधारी अप्रशिक्षित शिक्षक जिन्होंने 'शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा 2004' में सम्मिलित होकर प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण हुए, उन्हें भी दिनांक 01.10.2003 से मैट्रिक प्रशिक्षित वेतनमान दिया गया।

(iii) बिहार प्रारंभिक विद्यालय नियुक्ति नियमावली 1991 के अन्तर्गत नियुक्त उच्च योग्यताधारी अप्रशिक्षित शिक्षक जिन्होंने शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा 2004 में सम्मिलित होकर उत्तीर्ण नहीं हुए अथवा वैसे शिक्षक जो शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा 2004 में सम्मिलित नहीं हुए और वर्ष 2007 में

आहूत शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा में सम्मिलित होकर प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण हुए, उन्हें प्रशिक्षण परीक्षा में सम्मिलित होने की तिथि (दिनांक 31.07.2007) से मैट्रिक प्रशिक्षित वेतनमान दिया जाय।

6. बिहार प्रारंभिक विद्यालय नियुक्ति नियमावली 1991 एवं बिहार प्रारंभिक विद्यालय (संशोधन) नियुक्ति नियमावली 1993 में प्रशैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने हेतु अवधि निर्धारित नहीं की गई है, बल्कि दिशा-निर्देश जारी किया गया है।

7. सी० डब्लू० जे० सी० सं०-7048/2020 दिनेश कुमार साह एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 07.10.2024 को पारित आदेश के आलोक में श्री दिनेश कुमार साह एवं अन्य अप्रशिक्षित शिक्षक विभागीय संकल्प सं०-12 दिनांक-05.01.2015 के आलोक में 01.10.2003 से मैट्रिक प्रशिक्षित वेतन की मांग कर रहे हैं।

8. चूंकि याचिकाकर्तागण का कहना है कि, माननीय उच्च न्यायालय में दायर एल०पी०ए० 1818/2010 में पारित न्यायादेश एवं विभागीय पत्रांक-183 दिनांक-06.03.2012 एवं पत्रांक-874 दिनांक-20.12.2012 द्वारा नियुक्त सभी शिक्षक जिसमें बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा प्रदत्त वरीयता कायम रखने की बात कही गयी है और एक ही विज्ञापन की तहत नियुक्त हुए हैं, जिनमें से कुछ शिक्षकों को दिनांक-01.10.2003 से मैट्रिक प्रशिक्षित वेतन नहीं मिला है। वहीं कुछ शिक्षकों को दिनांक-01.10.2003 से मैट्रिक प्रशिक्षित वेतन मिल रहा है। इस संदर्भ में जिला शिक्षा पदाधिकारी, गोपालगंज के पत्रांक-11 दिनांक-07.01.2026 द्वारा अवगत कराया गया है कि विभागीय पत्रांक-183 दिनांक-06.03.2012 एवं पत्रांक-874 दिनांक-20.12.2012 द्वारा नियुक्त गोपालगंज जिला में कार्यरत शिक्षकों को दिनांक-01.10.2003 से मैट्रिक प्रशिक्षित वेतनमान दिया जा रहा है।

अतः उपर्युक्त तथ्यों पर सम्यक विचारोपरान्त माननीय न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश एवं विभागीय नियमावली के आलोक में याचिकाकर्ता, वरीय वेतनमान/कालबद्ध प्रोन्नति/ए०सी०पी० हेतु हकदार पाये जाते हैं, तो याचिकाकर्ताओं को उनके दावे के अनुरूप परिणामी लाभ दिया जाय।

उक्त के आलोक में दावे को निस्तारित किया जाता है।

(कुमार निशांत विवेक)

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

पटना, दिनांक:- 17/10/26

ज्ञापांक:-07/मु०-01-534/2024.....27/7

प्रतिलिपि:- श्री दिनेश कुमार साह, सहायक शिक्षक, उ० म० वि०, मेधवलिया, सदर छपरा, श्री गुमानी, सहायक शिक्षक, म० वि०, इसुआपुर, सारण, श्री ब्रिज कोर्स साह, सहायक शिक्षक, म० वि०, जैयंतपुर, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

2. जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), सारण, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3. आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।